

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
(PARLIAMENT CELL)**

**Room No.38, Punarvas Bhawan,  
I.P. Estate, New Delhi-110002**

**No. F/PC/AQC-99/D-82**

**dated: 05.6.2018**


To,

The Dy. Secretary (Question Cell)  
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Un-Starred question no. 99 dated 07/06/2018.

Kindly find enclosed herewith the answer in r/o Un-Starred question no. 96 raised by Sh.Pankaj Pushkar , MLA.

This issues with the prior approval of the Competent Authority

  
05/06/2018  
Asstt. Director(PC)  
Phone No. 23378559



दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमांक:

दिनांक:

विषय:- श्री पंकज पुष्कर, विधायक द्वारा पूछे गए विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 99  
दिनांक 07.06.2018 का उत्तर।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
क	तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इसिब नोटिफाइड झुग्गी बस्तियों की सूची क्या है;	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास अधिसूचित 675 मूल एवं अतिरिक्त 82 झुग्गी बस्तियों की सूची के अनुसार तिमारपुर विधानसभा (एसी-3) क्षेत्र में निम्नलिखित 16 झुग्गी बस्तियां हैं 1. संजय बस्ती तिमारपुर, 2. श्यमा बस्ती तिमारपुर, 3. इंद्रा बस्ती नजदीक तिमारपुर थाना, 4. डेरी न0 तीन लखनऊ रोड तिमारपुर, 5. पत्राचार विधालय, 6. डाक्टर अबेडकर नगर नजदीक वजीराबाद, तिमारपुर, 7. टी-हटस वजीरपुर शिव मंदिर, 8. नंदलाल कैम्प नजदीक गोपालपुर वलेज पार्ट-1, 9. नंदलाल कैम्प नजदीक गोपालपुर विलेज पार्ट-11, 10. जे-जे कैम्प मुखर्जी नगर डेरी मुंशी राम किंगसवे कैम्प, 11. सेठी कैम्प इंद्रा विकास कालोनी सामने संत निरंकारी सर्वोदय विधालय, 12. आउटर्म लेन सामने गुरुद्वारा किंगसवे कैम्प, 13. पटेल चेस्ट नजदीक ढाका विलेज गाँधी आश्रम के पास मालिक पुर किंगसवे कैम्प, 15. हडसन ले झुग्गी नजदीक एन.डी.पी.एल ऑफिस किंगसवे कैम्प, 16. हरिजन लेन झुग्गी बस्ती शिव मन्दिर वजीराबाद।
ख	उक्त झुग्गी बस्तियों में इसिब एक्ट के अनुपालन के सन्दर्भ में 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2018	वर्तमान में संजय बस्ती, तिमारपुर से संबंधित एक मामला माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में विचारधीन है (डब्ल्यू पी(सी)7323/16 Manju Sachdeva V/s UOI & Ors.)। माननीय न्यायालय के

6/6/18  
AD(Pc)

	<p>तक पुनर्वास की क्या कोशिश विभाग द्वारा की गई है; पूर्ण विवरण दे;</p>	<p>निर्देशानुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा संबंधित भूस्वामी संस्था को दिल्ली स्लम एवम जे.जे पुर्नस्थापना एवम पुनर्वास नीति-2015 के अनुसार अग्रिम पुनर्वास राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र दिया जा रहा है । भू-अधिपति संस्था द्वारा मांगी जाने वाली देय राशि जाम कराने उपरांत योग्य झुग्गीवासियों का स्थानांतरण/पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।</p>
<p>ग</p>	<p>संजय बस्ती, ऑउटरमलेन झुग्गी एवं मलिकपुर टी-हट्स से संबंधित कोर्ट केसेज का पूर्ण विवरण क्या है, दस्तावेज उपलब्ध कराएं</p>	<p>(1).WP ( C ) 7323/16 Manju Sachdeva V/s UOI &amp; Ors. जो कि संजय बस्ती, तिमर पुर से संबंधित है, कि भू-अधिपति संस्था एल. एण्ड. डी. ओ. है। माननीय कोर्ट के दिनांक 13.03.18 के आदेश अनुसार Ministry of Housing and Urban Affairs ने सैधानतिक रूप से डियूसिब को इस बस्ती के योग्य झुग्गीवासियों के लिए देय राशि मंजूर कर ली है। इस विभाग द्वारा भू-स्वामी विभाग को बस्ती के पुनस्थापन हेतु धनराशि जमा कराने के लिए माँग-पत्र जारी किया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 28.07.2018 को हैं। (2). WP ( C ) 5125/2018 RAJBIR SINGH V/S DUSIB जो कि टी-हट्स, ऑट्रमलेन झुग्गी बस्ती से संबंधित हैं। झुग्गीवासियों के विध्वंस हेतु Writ Petition No. 466/2013 Progressive Square RWA V/S Deepti Vilasa, में माननीय कोर्ट द्वारा 12/08/2016 को आदेश जारी किए गए थे इस झुग्गीबस्ती की भू-अधिपति संस्था डी. डी. ऐ. है। इस मामले में अगली सुनवाई तारीख 18.07.2018 है। (3). WP (C) 5016/2018 Ram Kumar &amp; Ors. V/s. DUSIB&amp; Ors. झुग्गी बस्ती मलिकपुर से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने सवयं कोर्ट को बताया है कि उनकी झुग्गी एम.सी.डी. द्वारा दिनांक 03/05/2018 को तोड़ी गई है। माननीय कोर्ट ने इन झुग्गीयों का सर्वे</p>

18/07/2018  
AOC (PC)

		करने का आदेश दिय है जिससे झुग्गीवासियों की योग्यता निर्धारित की जा सके । अगली सुनवाई तारीख 06/07/2018 है।
घ	बिंदु ग) में वर्णित केसेज के सन्दर्भ में इसिब के वकील द्वारा किये गए प्रयासों का पूर्ण विवरण क्या है; और	इसिब के वकील उपरोक्त मामलों में विभाग की पैरवी कर रहे हैं तथा विभाग का पक्ष दिल्ली स्लम एवम जे.जे. पुर्नस्थापना एवम् पुनर्वास नीति-2015 के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं।
ड	इसिब का बस्ती विकास केंद्र डेयरी नंबर- 3 अनाधिकृत तरीके से कब्जे में है इसके संबंधित कोर्ट केस का विवरण क्या है दस्तावेज प्रति उपलब्ध कराएं?	बस्ती विकास केंद्र डेयरी नंबर -3 से संबंधित कोर्ट केस मासूम फाउंडेशन एन जी ओ बनाम यू ओ आई एण्ड अदरर्स के मध्य W.P.(C ) /1898/2008 माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन है जिसमें अगली सुनवाई की तारीख 17.07.2018 है । अंतिम तिथि के न्यायालय के आदेश के प्रति संगलन है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

6  
06/07/2018  
सहायक निदेशक (संसद कक्ष)

उप सचिव (प्रश्न शाखा) पुराना सचिवालय, दिल्ली सरकार

\$~20

\* **IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**

+ W.P.(C) 1898/2008

MASOOM FOUNDATION REGD. NGO ..... Petitioner

Through : Mr. Anil K. Sangal, Adv. with  
Mr. Siddharth Sangal, Mr. Abhay K.  
Tayal and Ms. Sujata, Adv.

versus

UOI & ORS. .... Respondent

Through : Mr. Parvinder Chauhan, Adv. for  
R-2 & 3.  
Ms. Jyoti Taneja, Adv. along with SI  
Ajay Kumar, PS Timarpur, for  
GNCTD.

**CORAM:**

**HON'BLE MR. JUSTICE A. K. CHAWLA**

**ORDER**

%

**09.11.2017**

Ms. Taneja, learned counsel for the respondent, submits that at present no alternative site/plot to be offered to the petitioner is available and that the department has no policy to procure land sites to be handed over to any NGO or shifting their existing institutions. Let an affidavit to that effect be filed within four weeks. Response thereto may be filed a week before the adjourned date.

List on 17<sup>th</sup> July, 2018.

**A. K. CHAWLA, J**

**NOVEMBER 09, 2017**

**SRwt**